(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 1000-तीन/05 विरुद्ध आदेश दिनांक 06.06.2005 पारित द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 104/बी-121/2000-01

मुन्नीलाल अग्रवाल पुत्र श्री मातादीन अग्रवाल
प्रो0 धमाका वीडियो लोड़ी निवासी- लैडी तह0 लौंडी
जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

म0प्र0 शासन .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश

(आज दिनांक...07/03/2018.....को पारित)

यह निगरानी आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 104/बी-121/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2005 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक को धमाका वीडियो के रूप में लायसेंस क्रमाक-4 वर्ष 83-84 स्वीकार किया गया था। तभी से आवेदक नियमित रूप से उक्त कारोबार करता चला आ रहा है। एक्साइज आफिसर के प्रतिवेदन के अनुसार शो टैक्स की बकाया राशि रुपये 15481/- आवेदक से वसूल किए जाने हेतु कलेक्टर द्वारा दिनांक 05.01.1988 को आदेश दिए गए। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष

अपील प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 06.06.2005 द्वारा अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक पर वीडियो लाइसेंस फिल्म प्रदर्शन करने के कारण शो टैक्स की राशि जमा न करने के कारण 15,481/- रुपये शो टैक्स की राशि आवेदक से वसूल करने के निर्देश दिए गए, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा वीडियो लाइसेंस फिल्म प्रदर्शन दिसम्बर-83 से किया जा रहा है और उस पर टैक्स की राशि बकाया होने के कारण राशि को जमा करने हेतु विभाग द्वारा उसे कई सूचनाएं दी गईं, परंतु उसके द्वारा फिर भी शो टैक्स की राशि का भुगतान नहीं किया गया जबकि राशि जमा करने का उत्तरदायित्व आवेदक का है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर